

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 443 / 12-13

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन

202

क0 सं0	कंडिका सं0	आंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन	आंकेक्षण दल का मतव्य	लेख परीक्षा कार्यालय की कार्रवाई
1	3	लेखा परीक्षा की परिस्थिया	महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए परिशिष्ट I एवं II में अभिलेखों की प्रारम्भ कर दी गयी है।		
2	13	निरस्त	महालेखाकार बिहार, पटना द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गई है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाय।		
3	14	महत्वपूर्ण करों का अधिरोपण (क)आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय कर (ख)विज्ञापन कर	नगर पंचायत, बख्तियारपुर के निर्वाची मंडल द्वारा दिनांक 26.12.12 को आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय कर एवं विज्ञापन कर लगाने का दर निर्धारित किया गया जिसे स्वीकृत हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को नगर पंचायत, बख्तियारपुर का पत्रांक 128 दिनांक 26.2.14 पत्रांक 114 दिनांक 27.2.14 एवं पत्रांक 195/20 दिनांक 25.2.14 द्वारा भेजा गया है। अभी तक दर स्वीकृत होकर विमश से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस कंडिका को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विलोपित किया जाय।		
4	15	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सम्बन्धित निधि में जमा नही	नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा सम्बन्धित लेखा में शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का जमा किया गया है। विलोपित की छाया प्रति संलग्न है। अतः इस कंडिका को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		
5	16	मोबाईल टावरों	उच्चतम न्यायालय से निर्णय के पश्चात् नगर पंचायत, बख्तियारपुर क्षेत्र के अधीनस्थ सभी टावरों का राशि जमा हेतु नोटिश दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जाय।		
6	17 (ग)	विभागीय वसूली हेतु रसीद का मुद्रण एवं रसीदों का भंडार पंजी प्रस्तुत	मुद्रण का विपत्र भंडार पंजी की छाया प्रति निर्गत का छाया प्रति संलग्न की जा रही है।		

7.	17 (ii)	सैरातो की बन्दोबस्ती एकररनामा स्टाम्प पेपर पर किय जाना	का नही	नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा स्टैम्प पेपर पर एकररनामा कराना प्रारम्भ कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
8.	18	स्वामित्व कर की कटौती की गयी राशि जमा नही किया जाना	गयी	नगर पंचायत, अधिनियम के तहत कोई ऐसा प्रावधान नही है। अतएव अभी तक अधीनस्थ योजनाओं में कोई स्वामित्व का कटौती नही की गई हे। यह आपत्ति अंकेक्षण दल का निराधार है। अतः कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।
9.	19	भविष्य निधि कटौती की राशि जमा नही किया जाना	जमा	कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी अंशदायी भविष्य निधि की राशि को खाता खोलवाकर जमा की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। अगले अंकेक्षण दल को अद्यतन स्थिति दिखला दिया जाएगा अतः इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।
10	20	निरस्त		महालेखकार बिहार, पटना द्वारा कोई आपत्ति उठायी नही गयी है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
11.	23	श्रम सेस की कटौती नही किया जाना	नही किया	नगर पंचायत, बख्तियारपुर में श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्र सं० 39 दिनांक 19.06.08 के अनुपालनबद्धता के कारण श्रम सेस की 1% की कटौती नही की जाती थी उक्त विषयवार पत्र प्राप्त होते ही वित्तीय वर्ष 2012-13 से 1% श्रम सेस की कटौती प्रारम्भ कर दी गई है। सीधे सभी कटौतीयो के साथ श्रम सेस के कटौतियों को भी नगर पंचायत, बख्तियारपुर के पी० एल० एकाउन्ट सं० 8448001020001 से डेबिट कर लिया जाता है। पी० एल० एकाउन्ट के अतिरिक्त लेखाओं से काटी गई श्रम सेस राशि को श्रम विभाग बाढ़ को ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया गया है (छाया प्रति संलग्न) अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।
12	24 (i)	ज० सी० बी० कय संबंधित सचिका उपस्थापित नही	सचिका	ज० सी० बी० से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं स्वीकृति के साथ स्वीकृत आदेश विपत्र की छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। उक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जाय।

1

24 (1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तान्तरण की अद्यतन स्थिति अनुपलब्ध	<p>नगर पंचायत, बख्तियारपुर का पत्रांक 269 दिनांक 20.12.2008, पत्रांक 42 दिनांक 20.12.2008, पत्रांक 1 दिनांक 23.12.12</p> <p>....., पत्रांक..... दिनांक.....</p> <p>छाया प्रति संलग्न द्वारा 11000000.00 एक करोड़ दस लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु स्मार वार-वार दिया गया है लेकिन अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।</p>		
13	दैनिक मजदुर पर व्यय 10.08 लाख	<p>नगर पंचायत, बख्तियारपुर के स्वशासी निकाय है। सरकार के सकल्य सं० 347 दिनांक 11.02.06 छाया प्रति संलग्न एवं 74 वे संसाधन के आलोक में अपने कार्यों को सम्पादित कराने हेतु स्वतंत्र है। समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए निकाय द्वारा प्राथमिक दायित्वो को निर्वाहण हेतु अतिरिक्त सफाई मजदुर रखने वाध्यकारी या सरकार द्वारा समय समय पर वार्डों की सफाई कराने का निर्देश एवं निर्वाची मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में दैनिक मजदुर द्वारा सरकारी दर पर सफाई करायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।</p>		
14	अंकेक्षण का परिणाम	<p>अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार राशि क वसूली की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।</p>		

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत, बख्तियारपुर
पटना
दिनांक: 23/12/12

